7/14

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय [redacted]
"Kendriya Paryavara[redacted]
लिन्क रोड नं0–3, Link[redacted]
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Sha[redacted]
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-46[redacted]
फोन– 2466525, 24631[redacted]
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@[redacted]

क्रमांक: 6-MPC046/2011-BHO/ 4222

दि0 - 30-12-2011,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषय: छिन्दवाडा जिले में 765 के0व्ही0 सिवनी–वर्धा सर्किट–II विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 30.099 हे0 आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि (25.504 हे0 आर0एफ0 / पी0एफ0 एवं 4.595 हे0 राजस्व वनभूमि) मुख्य प्रबंधक पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि0 को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 046 / 2011–बीएचओ / 3681 दिनांक 06 / 09 / 2011 एवं समसंख्यक पत्रांक 3699 दिनांक 20 / 09 / 2011

2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–4 / 5 / 43 / 2010 / 10–11 / 3586 दिनांक 19 / 12 / 2011

3. Ad-hoc CAMPA, MoEF, New Delhi letter no. 1-20/2010-CAMPA dated 23/12/2011

महोदय,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्र क्रमांक एफ–4 / 5 / 43 / 2010 / 10–1 / 1584 दिनांक 28 / 5 / 2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 30.099 हे0 आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि (25.504 हे0 आर0एफ0 / पी0एफ0 एवं 4.595 हे0 राजस्व वनभूमि) मुख्य प्रबंधक पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि0 को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 60.20 हे0 दुगने अवक्रमित वनभूमि (35.20 हे0 सर्वे क्रमांक 1834 जामलापानी, तह0–पाढुर्ना, जिला–छिन्दवाड़ा एवं 25.00 हे0 सर्वे क्रमांक 1625ए एल्कापार, तह0–बिछुआ, जिला–छिन्दवाड़ा) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3 अ. पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो ।

ब. वन क्षेत्रों के उपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

स. वनभूमि पर पारेषण लाईन के अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 64 मीटर होगी ।

द. प्रत्येक चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिंगिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3.0 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई / ठूंठ / छटाई की जायेगी । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख–रखाव किया जा सके ।

..........2

KARTIK/APPRO/ORDER/TL

(भू-प्र.)
भोपाल

1632

31-12-11

ई. अधिकृत मार्ग के भीतर 64 मीटर की शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 5. रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाइ न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान कटाव 6 मीटर की चौड़ाई के पट्टी तक ही सीमित रखा जायेगा ।

च. पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से काटे जायेंगे ।

4. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन के झुकाव (sagging) से उचित रख–रखाव किया

5. वनक्षेत्र तथा साथ लगे वनक्षेत्रों से गुजरने वाली वितरण लाइनों (distribution lines) पर उचित तथा पर्याप्त सुरक्षा की जायेगी ।

6. निर्माण के दौरान वनक्षेत्रों से कोई निर्माण सामग्री अथवा मिट्टी प्राप्त नहीं की जायेगी न ही . भी उत्पन्न होने वाला कचरा (debris) वनक्षेत्रों में फेंका जायेगा ।

7. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा कटाई के स्थान पर जहां तक संभव हो सके वृक्षों की शाखाओं अधिक से अधिक वृक्षों को बचाने का प्रयास किया जायेगा ।

8. संलग्न वनक्षेत्र में परियोजना के कियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये कोई अतिरि मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा ।

9. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन की ऊँचाई का इस प्रकार रख–रखाव किया जायेग वन्यप्राणी बिजली के तार से दुर्घटनावश सम्पर्क में न आ सके ।

10. चालक तथा वृक्षों के बीच में 5.5 मीटर की न्यूनतम दूरी रखने की अनुमति होगी । इस न्यूनतम गणना करते समय चालक की sag और swing को ध्यान में रखा जायेगा । इस हेतु वृक्षों की क की आवश्यकता होगी । जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्यपवर्तित वनक्षेत्र में राज्य वन विभाग की अनुमति की कटाई अथवा शाखाओं की कटाई की जा सकेगी ।

11. वनक्षेत्र में श्रमिकों के कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे ।

12. उपयोगकर्ता अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा कार्य पर लगाये ठेकेदारों द्वारा वनों तथा वन्यप्राणियों को कोई हानि नहीं की जाती ।

13. वन विभाग के वन शिविरों, बीटों तथा अन्य स्थापना को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में उच्च प्राथमि जायेगी ।

14. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा शर्तों के पालन के विषय में वार्षिक स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन नोडल अ म0प्र0 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को प्रस्तुत किया जायेगा ।

15. ट्रान्समिशन लाईन के ROW पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेष कर औषधीय पौधों का) वृक्षारोपण जायेगा । यदि आर0ओ0डब्ल्यू0 में 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किसी कारण से किया जाना स हो तो आर0ओ0 डब्ल्यू0 से बाहर औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का प्रस्ताव बनाकर पूर्ण औचित्य सहित अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ।

16. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की म अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का किया जाएगा ।

143

17. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

18. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनस्पितियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय, भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयागकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।

19. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 1.9 के अनुसार राज्य शासन व इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लघंन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य शासन उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
4. वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम (सामान्य) वनमण्डल छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि0, सत्यम शिवम सुन्दरम नगर के समीप, छिन्दवाड़ा जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
6. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)